

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—ब/22838/2017-18/28

दिनांक : 8/12/2017


समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा विभाग

विषय :- गणतंत्र दिवस समारोह—2018 के अवसर पर योग्यता प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग :- शासन की अ0शा0 टीप क्रमांक : प.025(5)मं.सं./2017 जयपुर दिनांक : 24.11.2017


उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि विगत वर्षों की भांति गणतंत्र दिवस समारोह—2018 (26 जनवरी—2018) के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने हेतु उनके सेवा काल के सम्बन्ध में विवरण तथा उनकी सेवाएं किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इस सम्बन्ध में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संलग्न दिशा—निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव दिनांक: 18.12.2017 तक वाहक के साथ आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा—निर्देश एवं प्रपत्र जरिये मेल प्रसारित करें, ताकि यथा समय उन पर आगामी कार्यवाही की जा सके। दिनांक : 18.12.2017 के पश्चात् होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं है।

संलग्न :- दिशा—निर्देश


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, मंत्री मण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उप निदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय के कार्मिक/अधिकारियों में से सर्वात्कृष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रस्ताव विभागाध्यक्ष चयनोपरान्त इस अनुभाग को दिनांक : 18.12.2017 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवा दे।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब—साईट अपलोड करने हेतु।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय- गणतंत्र दिवस समारोह-2018 के अवसर पर योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

आगामी गणतंत्र दिवस समारोह-2018 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम-7 के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे। प्रस्ताव निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव गत सात वर्षों यथा वर्ष 2010-2011 से 2016-17 तक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किये जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रस्ताव विभागीय प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व विभागीय माननीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर छः प्रतियों में प्रेषित करें।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण करें।
4. प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
5. राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग-अलग प्रस्ताव भेजें।
6. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित विभागीय प्रशासनिक सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
7. प्रपत्र के कॉलम संख्या-5 का प्रमाणिकरण अभिलेख के आधार पर करें।
8. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण-पत्र के लिये प्रस्तावित किये जावें।
9. एक सहकारी संस्था/नगरपालिका/निगम/मण्डल/बोर्ड/जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
10. पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नहीं भेजे जावें तथा प्रत्येक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण-पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

11. प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जावे कि इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।

अतः कृपया आपके अधीन नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल का विवरण तथा उनकी सेवायें किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 02.01.2018 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जावे, ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न:- प्रपत्र।

७८
(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव


समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव।

अशा० टीप क्रमांक: ५० २६(५)मं.मं./२०१७

जयपुर, दिनांक:- २५/११/२०१७

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज०, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राज०, ~~जयपुर~~।
3. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
4. प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 20.12.2017 तक संलग्न प्रत्र में प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 02.01.2018 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण, राज्यमंत्रीगण एवं संसदीय सचिवगण।
6. प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज०, जयपुर को प्रकाशनार्थ।


(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव

गणतंत्र दिवस समारोह-2018 के अवसर पर राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. (क) नाम

(ख) पदनाम, पै-बैंड, वर्तमान वेतन एवं ग्रेड-पे सहित:

(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गये पद:

(घ) सेवा का नाम(राजपत्रित/अराजपत्रित):

(ङ) घर का पता:

(च) टेलीफोन नं० (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई-मेल

2. जन्म तिथि:

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख:

4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।

5. जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र:

(क) अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

(ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।

6. विभाग/प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा:

7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है; यदि हाँ तो उसका विवरण:

8. उपरोक्त के अलावा इनको सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने लायक है या नहीं?

9. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:

10. जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी:

11. अन्य कोई सुसंगत सूचना:

जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

मय शील एवं दिनांक